



बिहार विधान सभा

कार्य सूची

षोडश विधान सभा

द्वादश सत्र

शुक्रवार, तिथि 15 फरवरी, 2019 ई०
26 माघ, 1940 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)

प्रश्नोत्तर

1. अल्पसूचित एवं तारांकित प्रश्न तथा उनके उत्तर ।

ध्यानाकर्षण सूचनाएँ तथा उसपर सरकारी वक्तव्य

2. सर्वश्री भाई वीरेन्द्र, ललित कुमार यादव एवं अन्य छः सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार [शिक्षा विभाग] की ओर से वक्तव्य ।
3. डॉ० मेवालाल चौधरी, श्री तारकिशोर प्रसाद एवं अन्य सात सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार [कृषि विभाग] की ओर से वक्तव्य ।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

4. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम का वर्ष 2012-13 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (ए) (2) के तहत सदन के पटल पर रखा जाना ।
5. बिहार विधान सभा के समितियों के प्रतिवेदनों का (यदि हो) सभा के समक्ष रखा जाना ।
6. याचिकाओं का उपस्थापन (यदि हो) ।

मध्याह्न-विराम (12.30 बजे अपराह्न से 2.00 बजे अपराह्न)

वित्तीय कार्य

7. वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए लेखानुदान संबंधी प्रस्ताव पर विचार-विमर्श तथा मतदान ।

[संशोधन की सूची अलग से वितरित की जा रही है ।]

विधायी कार्य
राजकीय (वित्तीय) विधेयक
"बिहार विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2019"

8. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री सुशील कुमार मोदी प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2019" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।
9. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री सुशील कुमार मोदी उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे ।
10. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री सुशील कुमार मोदी प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2019" पर विचार हो ।
11. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री सुशील कुमार मोदी प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2019" स्वीकृत हो ।
12. अन्य नितान्त आवश्यक कार्य (यदि हो) ।

बटेश्वर नाथ पाण्डेय

सचिव,


बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-कार्य०का०सू०-01/2019-

603

/वि०स०, पटना, दिनांक- 14 फरवरी, 2019 ई० ।

प्रतिलिपि:- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्री / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार/ राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार/ कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / संसदीय कार्य विभाग/ विधि (विधान) विभाग / निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग / महाधिवक्ता बिहार, पटना उच्च न्यायालय / लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली / सरकार के समस्त विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


(राजीव कुमार)

उप सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-कार्य०का०सू०-01/2019-

603

/वि०स०, पटना, दिनांक- 14 फरवरी, 2019 ई० ।

प्रतिलिपि:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।


(राजीव कुमार)

उप सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-कार्य०का०सू०-01/2019-

603

/वि०स०, पटना, दिनांक- 14 फरवरी, 2019 ई० ।

प्रतिलिपि:- बिहार विधान सभा के उप सचिवगण एवं अवर सचिवगण / अवर सचिव, श्रव्य एवं दृश्य इकाई, बिहार विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित ।


(राजीव कुमार)

उप सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।